अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सं0 14/2016-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. (अ.).- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 33/2005-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 सितम्बर, 2005 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं0 570(अ), तारीख 8 सितम्बर, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की शर्त (ii) के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परन्तु यह शर्त नगरपालिक और शहरी अपशिष्ट पर आधारित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को तब लागू नहीं होगी, यदि विनिर्माता, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त के समाधानप्रद रूप में यह सिद्ध करता है कि विद्युत के उत्पादक और नगरपालिक ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए शहरी स्थानीय निकाय के बीच परियोजना आरंभ होने की तारीख से दस वर्ष से अन्यून अवधि के लिए एके विधिमान्य करार है ।"

[फा.सं. 334/8/2016-टीआरयू]

(क. कालिमुत्तु)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 570(अ), तारीख 8 सितम्बर, 2005 में प्रकाशित की गई थी, और अधिसूचना सं.14/2014-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा, जो सा.का.नि.सं. 445(अ) तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।